उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या-34/2024/1344 /सत्ताईस-1-2024-16/23
लखनऊः दिनांकः 16 सितम्बर, 2024

कार्यालय-आदेश

एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के निम्नलिखित नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित/तैनात किया जाता हैः-

क्रमांक	नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	नवीन तैनाती
1.	2.	3.
1	प्रदीप कुमार	अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, मेरठ।
2	मनोज सिंह	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ।
3	सुभाष चन्द्र	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (गंगा), मेरठ।
4	राम गोपाल	ड्रेनेज मण्डल, कानपुर।
5	राज नाथ सिंह यादव	अधीक्षण अभियन्ता (स्वारा), लखनऊ।
6	उग्रसेन	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(सरयू परि-1), अयोध्या।
7	आलोक प्रताप सिंह	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ।
8	चन्द्र बहादुर पटेल	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कनहर), मिर्जापुर।

2- उक्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक, शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायें।

इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5/6
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।